न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 16.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 94/2026

सीआईएस नं. 1276/2016

CNR No. RJBR020013452016

एफआईआर सं. 626/2016 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181, 146/196, 5/180 एमवी एक्ट

PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. मुकेश पुत्र प्रभूदयाल निवासी परमहंस की बगीची स्टेशन के सामने, तेलफेक्ट्री बारां थाना कोतवाली बारां राज. 02. कान्ताप्रसाद पुत्र राधाकिशन निवासी रामनगर कॉलोनी तेलफेक्ट्री बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज जैन

B

अपराध की दिनांक		21.08.2016
एफआईआर की दिनांक		23.08.2016
आरोप पत्र की दिनांक		08.09.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		08.09.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		06.01.2017
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		16.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
02.	मुकेश कान्ताप्रसाद	–	–	279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181, 146/196, 5/180 एमवी एक्ट	दोषमुक्त	–	–

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	प्रताप सिंह	हालात तफ्तीश
PW2	डॉक्टर ओमप्रकाश मालव	चिकित्सीय साक्षी
PW3	तेजराज मीणा	फरियादी
PW4	मोनिश	ताईद नक्शा मौका
PW5	ललित कुमार	फर्द जप्ती जीप
PW6	देशराज	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW7	गिर्राजप्रसाद नागर	ताईद नक्शा मौका
PW8	रघुवीर सिंह	ताईद मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
PW9	प्रियंका गुप्ता	ताईद एक्सरे करना

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 06.01.17 PW1, PW3, PW4, PW7	नक्शा मौका
2	Ex P2 06.01.17 PW1, PW5	फर्द जप्ती जीप
3	Ex P3 06.01.17 PW1	133 एमवी एक्ट नोटिस
4	Ex P4 06.01.17 PW1, PW8	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
5	Ex P5 06.01.17 PW1	फर्द सुपुर्दगी जीप
6	Ex P6 लगायत Ex P9 06.01.17 PW1	जप्तशुदा जीप के प्रमाणित फोटो
7	Ex P10 23.11.17 PW2	चोट प्रतिवेदन
8	Ex P11 23.11.17 PW2, PW9	एक्सरे कवर नोट
9	Ex P12, Ex P13 23.11.17 PW2, PW9	एक्सरे प्लेट
10	Ex P14 19.02.18 PW3	पर्चा बयान

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181, 146/196, 5/180 एमवी एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.08.2016 को फरियादी तेजराम का पर्चा बयान प्रदर्श पी–14 इस आशय का पेश हुआ है कि वह नयागांव थाना मोठपुर का रहने वाला है तथा वर्तमान में शिवमंदिर के पास शिव कॉलोनी बारां में शान्तीलाल प्रजापति के मकान मे किराये से रहता है। दिनांक 21.08.2016 समय 3–4 बजे दिन के वह तथा मोनिश पुत्र भंवरलाल दोनों ही घर से दवा लेने आयुष किलीनिक हाउसिंग बोर्ड तेल फैक्ट्री बारां स्थित में दवा लेने गये थे। मोनिश तो दवा लेने किलीनिक के अन्दर चला गया तथा वह किलीनिक के सामने रोड किनारे उसके गांव के देशराज के साथ खडा था तथा बातें कर रहे थे, वो भी वहीं मिल गया था। उसी समय रेलवे फाटक बारां की तरफ से एक जीप आरजे 20 सीओ 127 काफी तेज गति से आती नजर आई। वह रोड़ किनारे से काफी पीछे हट गया परन्तु जीप चालक ने गफलत व लापरवाही से जीप चलाकर उसके खड़े हुवे के टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसका दाहिना पैर टकने के उपर नला टूट गया, जिससे वह निचे गिर पड़ा तथा उसके साथी देशराज ने जीप वाले को रुकने की आवाज लगाई इतने में मोनिश व गिरीराज नागर किलिनीक वाले भी आ गये। चालक गाड़ी भगाकर ले गया। उसे घायल अवस्था में देशराज व गिरीराज नागर, मोनिश तीनों ही तेल फैक्ट्री से ओटो में डालकर जोनल होस्पीटल बारां में भर्ती करवाया तथा उसके पिता धनराज को सूचना कि जो दिनांक 23.08.2016 को अस्पताल आये.....इत्यादि।

3. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 626/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181 एमवी एक्ट में व अभियुक्त कांताप्रसाद के विरूद्ध धारा 146/196, 5/180 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त मुकेश को जुर्म धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181 एमवी एक्ट में व अभियुक्त कान्ताप्रसाद को जुर्म धारा 146/196, 5/180 एमवी एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में गवाहों के द्वारा अपने–अपने बयानों में वाहन के नंबर व मुल्जिम के नाम का हवाला नहीं दिया गया है, उक्त प्रकरण झूठा व रंजिशवंश दर्ज करवाया गया है, किसी भी गवाह ने घटना की ताईद अपने–अपने बयानों में नहीं की है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 21.08.2016 को समय 3–4 बजे दिन में स्थान रेलवे फाटक बारां की तरफ से एक जीप नंबर आरजे 20 सीओ 127 के चालक द्वारा तेज गति गफलत लापरवाही से फरियादी तेजराज के टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन कर फरियादी के साधारण व गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित की तथा वक्त दुर्घटना वाहन का बीमा प्रमाण पत्र तथा वाहन चलाने के लिए कोई वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था तथा मौके से भाग गए। यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का दायी है ? ''

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 प्रताप सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 23.08.2016 को थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन थाना कोतवाली के मुकदमा नंबर 626/16 धारा 279, 337 आईपीसी का अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था दौराने अनुसंधान बयान फरियादी तेजराज, धनराज, देशराज मानिस, गिर्राज के कथनानुसार लिए गए। घटनास्थल का नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जीप नंबर आरजे 20 सी 0127 को उसके द्वारा जप्त किया गया था क्योंकि प्रकरण में उक्त वाहन वांछित था। फर्द जप्ती जीप प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और सी से डी वाहन स्वामी कान्ता प्रसाद के हस्ताक्षर है। वाहन स्वामी को 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर

जवाब प्राप्त किया गया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके और सी से डी वाहन स्वामी के हस्ताक्षर है। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 प्राप्त कर शामिल की गई। फर्द सुपुर्दगी जीप प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी वाहन स्वामी के हस्ताक्षर है। जप्तशुदा जीप के प्रमाणित फोटो प्रदर्श पी 06 लगायत प्रदर्श पी 09 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान से मुल्जिम मुकेश के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 आईपीसी का अपराध और वाहन स्वामी कांता प्रसाद के विरूद्ध धारा 146/196 का अपराध प्रमाणित पाए जाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द की थी।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसमें वाहन चालक का नाम दर्ज नहीं करवाया था। यह सही है कि वाहन चालक को मौके पर नहीं पकडा था। यह कहना सही है कि फरियादी व चश्मदीद गवाहों से वाहन चालक की शिनाख्तगी नहीं करवाई थी। सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था तब घटना से संबंधित साक्ष्य खून आलूदा या वाहन के टूटे सामन घटनास्थल पर नहीं मिले है। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिम को झूठा फंसाया हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 डॉक्टर ओमप्रकाश मालव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 26.08.2016 को राजकीय चिकित्सालय बारां में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत था उस दिन उसने थानाधिकारी कोतवाली बारां के प्रतिवेदन पर मजरूब तेजराज के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट नंबर 01 दाहिनी जांघ व घुटने पर प्लास्टर बंधा हुआ था। चोट नंबर 02 दाहिने पैर में अंगुलियों तक प्लास्टर था। चोट नंबर 03 3 गुना 2 सेमी बांये घुटने पर थी, सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी तथा चार से सात दिन के भीतर की थी। चोट नंबर 03 साधारण प्रकृति की थी। चोट नंबर 01 व 02 के लिए एक्सरे की सलाह दी गई जो बाद एक्सरे चोट नंबर 01 साधारण प्रकृति की तथा चोट नंबर 02 गंभीर प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय अंकित है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी राय अंकित है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल से तेज गति से जा रहा हो और वह स्लिप होकर गिर जाये तो इस प्रकार की चोटों के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 तेजराज मीणा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब एक साल पहले की बात है। हाउसिंग बोर्ड में गिरिराज जी के क्लीनिक के बाहर वह और मोनिस सोनी खडे थे। शाम के 3–4 बजे की बात है। जीप आई और उसने उन्हें ठोक दिया। उसका पैर टूट गया था। जीप तेल फैक्ट्री की तरफ से आ रही थी। जीप का नंबर 127 था और आगे–पीछे क्या नंबर था उसे ध्यान नहीं। गाडी का वालक गाडी को बहुत तेज गति से ला रहा था। वे अपनी साईड पर खडे हुए थे। चालक ने लापरवाही से गाडी चलाकर उन्हें टक्कर मार दी। जीप वाला जीप को भगा ले गयसा रूका नहीं। उसे देशराज, गिरिराज जी और मोनिस तीनों जोनल हॉस्पिटल लेकर गए थे। जोनल अस्पताल में पुलिस ने उसके बयान लिए थे। पर्चा बयान प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडिकल भी है बाद में पुलिस मौके पर गई थी। मौका देखा व बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त चतुर्भुज द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उसने पुलिस वालों को रिपोर्ट हॉस्पिटल में उसके हाथ्ज्ञ से लिखकर दी थी। उसने रिपोर्ट एसआई साहब को लिखवाई थी। उसने एसआई साहब को घटना के तीसरे दिन रिपोर्ट लिखवाई थी। उनके परिवार वाले दूसरे दिन आए थे। इस कारण तीसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह जोनल हॉस्पिटल में था। यह कहना गलत है कि वह स्वयं शराब पीकर गाडी चला रहा हो और गाडी स्लिप होने से उसे चोट आई हो। यह कहना गलत है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और नशा उतरने के बाद उसने क्लेम लेने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। गाडी कौन चला रहा था इसका उसे पता नहीं है। पुलिस बयान में उसने गाडी के पूरे नंबर लिखाए थे। ज्शदा समय होने से आज उसे पूरे नंबर याद नहीं है। जीप में कितने दरवाजे थे ये उसने नहीं देखा। यह कहना सही है कि घटनास्थल मुख्य सडक है जहां साधन आते–जाते रहते हैं। यह कहना गलत है कि वह गिरते ही बेहोश हो गया हो बल्कि उसे थोडा–थोडा होश था। पुलिस ने उसके बयान घटना के 10–15 दिन के अंदर लिए थे। तारीख उसे याद नहीं है। उसके मिलने वाले जिन्होंने घटना देखी थी, उन्होंने पुलिस को सूचना कर दी थी। पुलिस वाले मौके पर बाद में आए थे जो घटना के दिन ही आए थे। उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद। प्रदर्श पी 02 पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसे याद नहीं है।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 मोनिश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब एक साल पहले की बात है। वह तेजराज की तबियत खराब होने के कारण उनको मोटरसाईकिल से हाउसिंग बोर्ड में डॉक्टर साहब को दिखाने गया था। दिखाने के बाद इनको बाहर खडा किया। इनको गांव का मित्र देशराज आया, उससे बात करने लग गए। वह दवाई लेने अंदर चला गया था। जीप आई और इनको ठोककर चली गई। जिससे तेजराज के चोट आई। उस समय उसने पुलिस को जीप के नंबर बताए थे। पर जब समय ज्यादा होने से उसे नंबर याद नहीं है। फिर तेजराज को ऑटों में बैठाकर डॉक्टर साहब के साथ जोनल हॉस्टिपल लाए। देशराज भी जख्मी हुआ था, मौका देखा था व बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि टक्कर मारने वाली गाडी मौके पर आगे जाकर रूक गई थी। पुलिस वाले घटना के दिन ही जोनल अस्पताल में आ गए थे। पुलिस वालों ने उनसे डॉक्टर के कागज नहीं मांगे इसलिए उन्होंने पेश नहीं किए। यह कहना सही है कि तेजराज शराब पीता है कभी–कभी पीता है। जो व्यक्ति जीप को चला रहा था वो कौन था उसे याद नहीं। यह कहना गलत है कि तेजराज ने शराब पी रखी हो, जिसके कारण वह मोटरसाईकिल से गिरा हो।

17. गवाह पी0डब्ल्यू–05 ललित कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है किकरीब छः–सात पहले पुलिस ने उसके सामने एक जीप आर जे 20 सीओ 127 जप्त की थी। प्रदर्श पी 02 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू–06 देशराज व गवाह पी.डब्ल्यू–07 गिर्राज प्रसाद नागर के द्वारा अपने–अपने बयानो में घटना की ताईद नहीं करते हुये उक्त गवाहान प्रकरण में पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुए है।

19. गवाह पी0डब्ल्यू–08 रघुवीर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.08.2016 को एच सी एम टी क पद पर पुलिस लाइन बारां में पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना कोतवाली में जब्तशुदा जीप आर जे 20 सी 0127 का मैकेनिकल मुआयना एस एच ओ कोतवाली वायरलैस पर सूचना मिलने पर किया था। जीप थाना परिसर में खडी हुई थी। जीप का मैकेनिकल मुआयना किया व चलाकर देखा तो जीप के ब्रेक, क्लच, गियर, स्टेयरिंग सही कार्य कर रहे थे। जीप के दांये साइड अगले बंपर पर रगड आई हुई थी। बंपर पीछे की ओर मुडा हुआ था। मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट व सी से डी उसके साइन है।

20. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह वाहन पर आई रगड व मोच के निशान कितने दिन पुराने थे, नहीं बता सकता।

21. गवाह पी0डब्ल्यू–09 प्रियंका गुप्ता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.08.2016 को रेडियोग्राफर के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय बारां में कार्यरत थी। उस दिन उसने डॉ ओ पी मालव मेडिकल ज्यूरिष्ठ की उपस्थिति व निर्देशन में मजरूब तेजराज पुत्र धनराज उम्र 25 साल निवासी मोठपुर बारां के शरीर के दायां पैर का एक्सरे किया था। एम एल सी एक्सरे रजिस्ट्रेशन नंबर 603/26.08.2016 है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 11 है जिस पर ई से एफ उसकी कलमी व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। एक्से प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

22. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् पर्चा बयान प्रदर्श पी 14 परिवादी तेजराज के द्वारा इस आशय का दर्ज करवाया गया है कि दिनांक 21.08.2016 को समय 3–4 बजे के आस–पास वह एवं मोनिश घर से दवा लेने आयुष क्लिनीक हाउसिंग बोर्ड तेल फेक्ट्री बारां गए तथा मोनिश दवा देने के लिए गया तो वह देशराज के साथ रोड पर खडा हुआ होने तभी एक जीप आरजे 20 सीओ 127 के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मारने व देशराज, गिर्राज, मोनिश के द्वारा अस्पताल लेकर जाने के बाबत् पेश किया गया है, जिस संबंध में परिवादी तेजराज पी.डब्ल्यू–03 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने बयानों में जीप का नंबर 127 होने व आगे–पीछे क्या नंबर थे ध्यान नहीं होने एवं गाडी कौन चला रहा था पता नहीं होने व नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 पर हस्ताक्षर कहां करवाए याद नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार प्रत्यक्षदर्शी गवाह मोनिश पी. डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने बयानों में गाडी के नंबर याद नहीं होने व जीप का कौन चला रहा था याद नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह देशराज पी.डब्ल्यू–06 के रूप में परीक्षित होते हुए गाडी के नंबर व चालक कौन था पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा गवाह पी. डब्ल्यू–07 गिर्राज प्रसाद के द्वारा भी दुर्घटना होते हुए नहीं देखने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इस प्रकार प्रकरण का परिवादी तेजराज व अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह मोनिश, देशराज व गिर्राज प्रसाद के द्वारा अपने–अपने बयानों में टक्कर मारने वाले वाहन के नंबर व चालक के नाम के बाबत् कोई साक्ष्य नहीं

दिया जाना प्रकट होता है जिससे पर्चा बयान प्रदर्श पी 14 की ताईद नहीं होना प्रकट होती है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–02 डॉक्टर ओमप्रकाश मालव के द्वारा तेजराज की चोटों का मेडिकल परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 तैयार करने व एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 11, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 13 पर हस्ताक्षर होने एवं उक्त चोटें स्लिप होकर गिर जाये तो आने की संभावना के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–05 ललित कुमार फर्द जप्ती प्रदर्श पी 02 पर हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–08 रघुवीर सिंह जो कि मैकेनिकल मुआयना का गवाह है उक्त गवाह द्वारा मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 पर हस्ताक्षर होने व वाहन पर आई रगड व मोच के निशान कितने दिन पुराने है नहीं बता सकने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–09 प्रियंका गुप्ता के द्वारा एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 11 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 पर हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी प्रताप सिंह पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए रिपोर्ट में वाहन चालक का नाम दर्ज नहीं होने व फरियादी व चश्मदीद गवाहों से वाहन चालक की पहचान नहीं करवाने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में पर्चा बयान प्रदर्श पी 14 परिवादी द्वारा जो दर्ज करवाया गया है उसमें वाहन के नंबर का अंकन होना प्रकट होता है लेकिन परिवादी द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में दी गई है उसमें वाहन के नंबरों के बाबत् कोई जानकारी परिवादी को नहीं होना उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रकट होता है तथा परिवादी तेजराज व गवाह मोनिश, देशराज व गिर्राज प्रसाद के द्वारा अपने–अपने बयानों में वाहन के नंबर व चालक के नाम के बाबत् कोई जानकारी नहीं होना उक्त गवाहान की साक्ष्य से प्रकट होता है तथा गवाह देशराज व गिर्राज प्रसाद प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित होना प्रकट होते हैं एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 के गवाह गिर्राज व मोनिश के बयानों से उक्त फर्द नक्शा मौका की ताईद नहीं होना प्रकट होती है तथा मुल्जिम के लाईसेंस व बीमा के संबंध में नहीं होने बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होती है जबकि मुल्जिमान की पहचान किसी भी गवाह के द्वारा बतौर चालक नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा मुल्जिमान ने घटना कारित की हो इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं होना प्रकट होती है तथा जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गई है उसमें समस्त गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता है, इस कारण उक्त प्रकरण में अभियुक्त मुकेश को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181 एमवी एक्ट में तथा मुल्जिम कान्ताप्रसाद को अपराध अंतर्गत धारा 146/196, 5/180 एमवी एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

48. अतः अभियुक्त **मुकेश** पुत्र प्रभूदयाल निवासी परमहंस की बगीची स्टेशन के सामने, तेलफेक्ट्री बारां थाना कोतवाली बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 व 3/181 एमवी एक्ट के आरोप में तथा अभियुक्त **कान्ताप्रसाद** पुत्र राधाकिशन निवासी रामनगर कॉलोनी तेलफेक्ट्री बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 146/196, 5/180 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

49. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो उसके स्वामी के पास ही रहे। जप्तशुदा वाहन का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निष्प्रभावी समझे जावें। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं मुल्जिमान द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज0)

50. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY